

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet




CNR NUMBER

Part of उपखण्ड फलोदी at बाप (फलोदी)

Kind of the Case व्य 131/136 RLE Act

Number of Case 113/2025 Year

विपणन विभाग Versus रामकृष्ण बारी

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
<p>पार्थी ने एक पार्थना पत्र, जरिये वकील अन्तर्गत धारा ^{179/136} 113/136 राजस्थान लेण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये सम्मन की जावे। मिसल दिनांक <u>25/6/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी बाप (जि फलोदी) </p> <p>25/6/25 आज श्रीमान् ए सी. एम. / एस. डी. एम सिंह / अरुण पर हैं। पेशी इलाका की जाकर पत्रावली जारी 20/7 को पेश हा।</p> <p>20/7 पत्रावली पेश हुई बरौत जाये उपर 20/7 बरौत जाये में NOT PRESS जाहिर कर जाहिरा-पत्र को खारिज किया जाने जायत निवेदन। इस बरौत जाये में निवेदन पत्र जाये में जाहिरा-पत्र जाहिरा NOT PRESS खारिज किया जायत है। पत्रावली के साथ शुभ्रा है। नमूदा के मक को बरौत दाखिल रक्ता है जायत</p> <p style="text-align: center;">  (सुखराम सिंह, RAS) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी) </p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">NOT PRESS</p> <p style="text-align: center;">  30-7-25 </p>